शोध उत्कर्ष Shodh Utkarsh Online Available at https:// www.shodhutkarsh.com ISSN-2993-4648
वर्ष - 03 अंक– 12 अक्टूबर - दिसंबर - 2025 Impact factor– 03

धर्म का नारी जीवन पर प्रभाव, स्थिति एवं दशा: एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. राम मिलन कुम्हार
सहायक प्राध्यापक - राजनीति विज्ञान
पी.एम.सी.ओ.ई., संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)

सारांश- 'नर' शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ मनुष्य से है। 'नर' शब्द के अक्षर 'न' में 'ा' की मात्रा तथा 'र' में 'ी' की मात्रा लगाने से 'नर' शब्द 'नारी' हो जाता है। इससे पता चलता है कि नारी में मनुष्यता के गुण पुरुषों की तुलना में अधिक होते हैं। यदि मात्र प्रजनन अंगों के भेद को छोड़ दें, तो पुरुष नारी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। प्रकृति ने भी नारी को अधिक सम्मान और शक्तियाँ दी हैं। वह नर को जन्म देने वाली और सृष्टि की रचनाकार है। उसे कई नामों से जाना जाता है—जैसे स्त्री, रोहिणी, लक्ष्मी, स्वामिनी आदि। अलग-अलग युगों में उसे विभिन्न नामों से पुकारा गया। नारी के नामकरण का आधार अतीत काल से ही उसकी शक्ति, रूप तथा शारीरिक सौंदर्य रहा है।

नारी प्राचीन काल से ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रही है। उसने अपनी कार्यदक्षता, कुशलता एवं क्षमता के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि वह किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। 'धर्म' की उत्पत्ति संस्कृत की 'धृ' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है—'धारण करना'। मनुष्य ने अपने जीवन को सुखमय बनाने एवं मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धर्म की रचना की। इसके माध्यम से पुरुषों ने स्त्रियों के शारीरिक सौंदर्य, कोमलता और दृढ़ता को अधिकतम अपने हित, लाभ और उपभोग की वस्तु माना। पुरुषों ने चालाकी से धर्म रूपी गाड़ी का हैंडल अपने हाथ में ले लिया और नारी को पिछली सीट पर बैठा दिया; फिर जहाँ और जिस दिशा में उन्हें अपना लाभ दिखा, धर्म की गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ दिया।

धर्म की आड़ में महिलाओं का लगभग सभी धर्मों में पुरुषों द्वारा शोषण किया गया। पुरुष इतिहासकारों और साहित्यकारों ने धर्मग्रंथों की रचना की और उनमें नारी को रागिनी, उपभोग की वस्तु, पुरुषों के आशीर्वाद से जन्नत (स्वर्ग) प्राप्त करने वाली अनुगामिनी बताया, तो कई स्थानों पर उन्हें प्रताड़ित करने या नियंत्रण में रखने की बात कही गई है।

बीज शब्द (Keywords): धर्म और नारी (Religion and Women), लैंगिक असमानता (Gender Inequality), वैदिक काल (Vedic Period), बौद्ध संघ (Buddhist Sangha), पितृसत्ता (Patriarchy), सामाजिक स्थिति (Social Status), महिला अधिकार (Women's Rights), संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions).

अध्ययन का उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करना है। इसके साथ ही उन समस्त कारणों, विशेष रूप से धर्म का नारी जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। यह शोध विभिन्न धर्मों में नारी के प्रति दृष्टिकोण, उनकी दशा और व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करता है तथा उन ऐतिहासिक व सामाजिक कारणों की पड़ताल करता है जिन्होंने समाज में महिलाओं को पीछे धकेलने का कार्य किया है।

शोध प्रविधि-प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। इसके लिए प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों जैसे मानक पुस्तकों, शोध पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं इंटरनेट का सहारा लिया गया है।

साहित्य का पुनरावलोकन- प्रस्तुत शोध अध्ययन में अब तक उपलब्ध धार्मिक साहित्यों में नारी के संदर्भ में किए गए प्रावधानों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:

ब्राह्मण/वैदिक धर्म में नारी: वैदिक काल को नारी जाति के लिए 'स्वर्ण काल' माना जाता है। इस काल में *"नारी तू नारायणी"*, *"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः"* एवं *"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"* जैसे गरिमामयी विचारों का प्रचलन मिलता है। किंतु श्रम का लैंगिक विभाजन इस समय भी मौजूद था; कई निम्नस्तरीय कार्य नारियों के जिम्मे सौंपे गए थे। इस काल में नारी के लिए सम्मान की एक बात अवश्य थी—*"अयज्ञियो वै एष योऽपत्नीकः"* अर्थात् पत्नी के बिना पति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था; ऐसा करने पर उसका यज्ञ अपूर्ण माना जाता था। विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों और यज्ञों के नाम नारियों के नाम पर रखे गए (जैसे सीता यज्ञ, रुद्र, काली आदि)। उत्तर-वैदिक और ब्राह्मण काल में आते-आते नारियों से वैदिक मंत्रों के उच्चारण का अधिकार यह कहकर छीन लिया गया कि वे अशुद्ध उच्चारण करती हैं। बाल-विवाह के प्रचलन के कारण उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया, जिससे उनकी शिक्षा की अवधि कम हो गई और वे यज्ञीय कर्मकांडों से वंचित हो गईं। धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में वे धीरे-धीरे देवदासी के रूप में शामिल की जाने लगीं।

बौद्ध धर्म में नारी: महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा बुद्ध ने भी नारी को संघ में स्थान देने में प्रारंभ में संकोच किया था। इसके पीछे कई कारण मिलते हैं। पहला यह कि बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना के काफी समय बाद भिक्षुणी संघ को अनुमति मिली। माना जाता है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना में उनके प्रिय शिष्य 'आनंद' का विशेष हठ था, अन्यथा गौतम बुद्ध ने प्रारंभ में महाप्रजापति गौतमी एवं अन्य महिलाओं के भिक्षुणी बनने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया था। बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने से पूर्व बुद्ध ने उनके लिए 'अष्ट गुरुधर्म' (आठ कड़े नियम) का प्रतिपादन किया, जो उन्हें भिक्षुओं के अधीन रखते थे। बौद्ध ग्रंथ *अंगुत्तर निकाय* में कुछ ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहाँ स्त्रियों के स्वभाव को पुरुषों की तुलना में अधिक चंचल, क्रोधी और ईर्ष्यालु दर्शाया गया है।

इस्लाम धर्म में नारी: इस्लाम के उदय के पूर्व अरब समाज में महिलाओं की दशा अत्यंत दयनीय थी; उन्हें केवल दासी समझा जाता था और नवजात कन्याओं को जीवित दफन करने की कुप्रथा थी। इस्लाम के आगमन ने इस क्रूर प्रथा को समाप्त किया और महिलाओं को संपत्ति व विवाह में कुछ वैधानिक अधिकार दिए। धार्मिक व आध्यात्मिक स्तर पर इस्लाम में स्त्री और पुरुष को ईश्वर के समक्ष समान माना गया है, परंतु सामाजिक स्तर पर कुरान व्यावहारिक भिन्नताओं को स्वीकार करता है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पुरुष को स्त्री का संरक्षक माना गया है। साक्ष्य (गवाही) के मामले में दो महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी गई है। इसके अतिरिक्त, एकतरफा तलाक की व्यवस्था (ऐतिहासिक रूप से), बहु-विवाह की अनुमति और पर्दा प्रथा ने समय के साथ मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक उत्थान की राह में बाधाएं उत्पन्न की हैं।

ईसाई धर्म में नारी: ईसाई मत के अनुयायी ईसा मसीह के दैवीय अंश को स्वीकार करते हैं और मैरी (माता मरियम) की विशेष उपासना करते हैं। इसके बावजूद, इतिहास में कई ईसाई संतों (जैसे सेंट ग्रेगरी, सेंट एंटनी और सेंट बर्नार्ड) ने नारी को प्रलोभन और पतन का कारण माना। सेंट जॉन क्रिसोस्टोम ने नारी को "एक आवश्यक बुराई" (a necessary evil) तक कहा। सेंट पॉल के विचारों में पुरुष की प्राथमिकता को स्पष्ट किया गया है कि आदम (Adam) पहले बना और हव्वा (Eve) बाद में; इसलिए पत्नी का कर्तव्य पति की आज्ञा का पालन करना है। चर्च के

कुछ शुरुआती नियमों में महिलाओं के सीधे पवित्र सामग्री छूने तक पर प्रतिबंध था। यूरोप के कुछ हिस्सों में विवाह के समय वधू के पिता द्वारा वर को सोटा (छड़ी) सौंपने की रस्म पुरुष के अधिकार हस्तांतरण का प्रतीक थी। यद्यपि ईसाई धर्म में एक-पत्नी प्रथा को आदर्श माना गया, परंतु सेंट ऑगस्टाइन और जॉन मिल्टन (अपनी कृति *ट्रीटाइज ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन'* में) ने कुछ विशेष परिस्थितियों में बहु-विवाह के प्रति सहिष्णु रुख अपनाया। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक *द सबजेक्शन ऑफ वीमेन'* (The Subjection of Women) में इस ऐतिहासिक अधीनता की कड़ी आलोचना की है। वहीं आर्थर शोपेंहावर जैसे विचारकों ने महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया, जबकि जीन-जैक्स रूसो ने अपने ग्रंथ *एमिल'* (और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचारों) में स्त्रियों की शिक्षा को केवल पुरुषों को सुख देने तक सीमित रखने की बात कही। जॉन नॉक्स ने अपनी रचनाओं में महिलाओं के शासन को प्रकृति के विरुद्ध बताया।

महिला कल्याण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान-भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 14** सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, तथा **अनुच्छेद 15 और 39** राज्य को महिलाओं के पक्ष में विशेष सुरक्षात्मक कानून और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। वैश्विक स्तर पर वर्ष 1976-1985 को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दशक' घोषित किया गया था। सार्क (SAARC) देशों की पहलों और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हर वर्ष 8 मार्च को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सामाजिक-विधिक सुधार के तहत 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' (तीन तलाक निषेध कानून) भी पारित किया गया है।

समीक्षा-विभिन्न धर्मों के साहित्य, संहिताओं और इतिहास के गंभीर अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी संस्थागत धर्मों ने अपनी व्याख्याओं के माध्यम से नारी को पुरुषों से पीछे धकेलने और उन्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है। आधुनिक काल में पुनर्जागरण, पश्चिमी शिक्षा और समाज सुधारकों (जैसे राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले, डॉ. बी.आर. आंबेडकर) के प्रयासों से नारी उत्थान के कार्य अवश्य हुए हैं, परंतु व्यावहारिक धरातल पर पूर्ण समानता की प्राप्ति के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। महिलाओं के पिछड़ेपन और दमन का एक बड़ा कारण धर्म की रूढ़िवादी व्याख्या करने वाले संकीर्ण दृष्टिकोण रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव- ऐतिहासिक रूप से धर्म और उसके नाम पर बने सामाजिक नियमों ने महिलाओं के सामाजिक दर्जे को व्यापक क्षति पहुँचाई है। प्रकृति की दृष्टि से सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, परंतु पुरुषों ने धार्मिक व सामाजिक संहिताओं के रूप में कृत्रिम नियम बनाकर महिलाओं को दोयम दर्जे पर ला खड़ा किया। अतः केवल कानून बना देने से यह समस्या हल नहीं होगी; इसके लिए समाज में दृढ़ इच्छाशक्ति, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सबसे महत्वपूर्ण—पुरुषों की मानसिकता में बुनियादी बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक है।

****

संदर्भ ग्रंथ

1. गुप्ता, कमला, *नारी: मर्यादा और अधिकार*, जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ. 1-2.
2. वही, पृ. 13-14.
3. वही, पृ. 15.
4. वही, पृ. 35.
5. वही, पृ. 39.
6. शुक्ला, डॉ. ए.के., *पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वीमेन*, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली, 2007, पृ. 11-12.
7. गुप्ता, मुक्ता, *इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन*, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज, लखनऊ, पृ. 97.
8. इंटरनेट स्रोत: महिला अधिकार एवं संबंधित अधिनियम (अंतिम अभिगम तिथि: 17 दिसंबर -2025).